(135)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2313–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–110/अ–6/2012–13

.....

1. श्रीमती गुनिया पत्नी पंचू लोधी
2. श्रीमती भुमानी बाई पत्नी रामकिशन लोधी
निवासीगण ग्राम कौसम्बर रगौली तहसील
जिला छतरपुर (म.प्र.)

————आवेदकगण

विरूद्ध

ममता पत्नी रामा अहिरवार
निवासी ग्राम कौसम्बर रगौली तहसील
जिला छतरपुर (म.प्र.)

————अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.पी.भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24–6–2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका ममता ने तहसीलदार बिजावर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि मौजा रगौली स्थित भूमि ख0क0 58/2, 59/2 एवं 60/1 रकवा कमशः 0299, 0.618 एवं 0.640 पर वर्ष 2009–10 में उसका नाम दर्ज था लेकिन वर्ष

2010–11 में उक्त खसरा नंबर पर भुमानीबाई का नाम बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिया गया है। अतः राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 06–2–2012 से अनावेदिका का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 05–02–2013 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 30–6–2014 से अपील सारहीन मानते हुये निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदिका की ओर से आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदिकाओं को सूचना जारी की गई, परन्तु ग्राम में निवास नहीं किया जाना, टीप अंकित कर तामील वापस प्राप्त हुई। इसके पश्चात तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत अनावेदिका ममता का नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालयों में भूमि पर अपना स्वत्व सिद्ध करने में असमर्थ रहे। वर्ष 2010–11 में आवेदिकाओं का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर कैसे आया यह भी अभिलेख से स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर अहस्तांतरणीय है, जो अनावेदिका को पट्टे पर प्रदाय की गई थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिकाओं के स्थान पर पूर्ववत अनावेदिका ममता का नाम अंकित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जहां अनुविभागीय अधिकारी एवं

अपर आयुक्त ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित पाते हुये स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,